

[2023] 1 एस.सी.आर. 969

जाबिर एवं अन्य

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 2013 / 972)

17 जनवरी 2023

[एस. रवीन्द्र भट्ट और पमिदिघनतम श्रीनरसिम्हा, जे.जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धाराएँ 302, 364, 201 - अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित 'एच', उम्र लगभग 7 वर्ष, 8.10.1999 को लापता हो गई थी - 10.10.1999 को, उसका शव गांव में 'वाई' के गन्ने के खेत में पाया गया था - पीड़िता के पिता (अभि०सा०- 1) ने धारा 156(3) द०प्र०स०के तहत एक आवेदन 19.11.1999 को दायर किया। - प्र०सू० रि० 21.11.1999 को दर्ज की गई - प्र०सू० रि० में, सूचक ने आरोप लगाया कि उसे अभि०सा०- 3 और अभि०सा०-2 द्वारा बताया गया था कि उन्होंने 08.10.1999 को ए-3 को मृत लड़के 'एच' को अपने घर ले जाते देखा था। - अभि०सा०- 4 ने उसे बताया कि 09.10.1999 को सुबह लगभग 6 बजे, उसने 'एच' को वाई के गन्ने के खेत के पास सड़क पर ए-1 और ए-2 के साथ खड़ा देखा था - मुकदमे में, अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों की गवाही करायी गयी - ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी करार करते हुए भा.द.वि. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, साथ-साथ भा.द.वि. की धारा 364 के तहत 7 साल और भा.द.वि. की धारा 201 के तहत 5 साल की कैद की सजा सुनाई। - अपील पर, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की - अभिनिर्धारित किया गया कि: अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में सक्षम नहीं था क्योंकि गवाहों के दो सेटों (अभि०सा०- 2 और 3 और अभि०सा०- 4 और 5) की गवाही में गंभीर खामियां थीं, जिन्होंने क्रमशः 08.10.1999 और 09.10.1999 को मृतक को ए- 3 और पहले दो आरोपियों के साथ देखने की गवाही दी थी। - अभि०सा०- 1 का आचरण, जिसने मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही के दौरान कुछ भी नहीं कहा था

जबकि उसे 08.10.1999 को लड़के के साथ ए- 3 को देखने के बारे में सूचित किया था और बाद में , अभि०सा०-2, अभि०सा०-3 और अभि०सा०- 4 द्वारा 09.10.1999 की सुबह के समय देखने की बात बतलाई गयी थी , अभियोजन की कहानी को कमजोर करता है - वर्तमान मामले में "अंतिम बार देखा गया" सिद्धांत के अतिरिक्त ; कोई अन्य परिस्थिति या साक्ष्य नहीं है - अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, जब मृतक को आरोपी के साथ देखा गया था और उसकी मृत्यु के संभावित समय के बीच समय का अंतर कम नहीं है - इसलिए , केवल " अंतिम बार देखा गया " की परिस्थिति के आधार पर आरोपी-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया जाना अनुचित है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया कि:

1. दोषसिद्धि पूरी तरह से गवाहों के दो सेटों , अभि०सा०-4 और अभि०सा०-5 की गवाही पर आधारित है । अभि०सा०- 5, अभि०सा० 1 का चचेरा भाई है , और उसके घर से दूर 7 वर्षीय रोते हुए लड़के को आरोपी के साथ देखकर और दोनों पक्षों के बीच पिछली दुश्मनी के बारे में जानने के बावजूद हस्तक्षेप न करने का उसका व्यवहार अप्राकृतिक है । अभि०सा०- 5 का बयान पुलिस द्वारा अनुसन्धान शुरू होने के दो महीने से अधिक समय बाद दर्ज किया गया था , और द.प्र.स. की धारा 156(3) के तहत आवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि लड़के को आरोपी के साथ देखे जाने का वह साक्षी था , बावजूद इसके गवाह का कथन था कि उसने जो देखा था उसके बारे में अभि०सा० - 1 को सूचित किया था । [पैरा-18][977-एफ.जी.; 978-बी.]

2. अभि०सा०-4 की गवाही कि उसने मृतक को पहले दो अपीलकर्ताओं के साथ देखा था, अविश्वसनीय है, क्योंकि वह अकबरपुर का निवासी था और सुबह 6 बजे शौच के लिए दूसरे गांव जहाँ वाई का खेत जो नारायणपुर गांव में स्थित था , गया और तुरंत घर वापस लौट आया । फिर , इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उसे कैसे पता चला कि आरोपी एक विशिष्ट स्थान पर खड़े थे। इसके अलावा, यह अस्वाभाविक और असंभव लगता है कि 8-10 कदम की दूरी पर रहने वाले अभि०सा०-1 के करीबी पड़ोसी को भी पता नहीं चला कि लड़का 8.10.1999 को लापता हो गया था । [पैरा 19][978-ई.जी.]

3. इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अभि०सा०- 1 ने, अभि०सा०-2 और अभि०सा०-3 द्वारा यह बताए जाने के बावजूद कि उन्होंने पीड़ित 'एच' को ए-3 को अपने घर में उसका हाथ पकड़ कर ले जाते देखा था , मृत्यु-समीक्षा की कार्यवाही में ए-3 की संलिप्तता का उल्लेख क्यों नहीं किया । अभि०सा०-7, जो मृत्यु-समीक्षा की कार्यवाही का गवाह है , ने अभि०सा०- 1 से अभि०सा०- 5 को कार्यवाही के दौरान उपस्थिति रहने के बारे में बताया , इससे अभि०सा०-2 की गवाही पर संदेह होता है और अभि०सा०- 5 की गवाही कमजोर हो जाती है , जो दावा करता है कि उसने 09-10-1999 गांव छोड़ दिया था और 12-10-1999 को ही लौटा था । [पैरा 20] [979-ई.जी.]

4. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, शरद बिरदीचंद सरदाव बनाम महाराष्ट्र राज्य में पंचशील सिद्धांत निर्धारित किए गए थे, की शर्तें पूरी होनी चाहिए । हालाँकि , वर्तमान मामले में , अभियोजन पक्ष संदेह से परे मामले को साबित करने में सक्षम नहीं है । गवाहों के दो सेटों (अभि०सा०-2, अभि०सा०-3 और अभि०सा०-4, अभि०सा०-5) की गवाही में गंभीर खामियां हैं, जिन्होंने मृतक को ए- 3 और पहले दो आरोपियों (ए- 1 और ए) के साथ क्रमशः 08.10.1999 और 09.10.1999 को देखने की बात कही थी । अभि०सा०-1 के ज्ञान को देखते हुए , उनकी गवाही में स्थान और समय पर उनकी उपस्थिति के संबंध में खामियां हैं । 08.10.1999 को और बाद में , 09.10.1999 की सुबह, अभि०सा०-2 द्वारा लड़के को ए-3 की कंपनी में देखने के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद , अभि०सा०-1 का आचरण , जिसने मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही के दौरान कुछ भी नहीं कहा था जबकि उसे 08.10.1999 को लड़के के साथ ए- 3 को देखने के बारे में सूचित किया था और बाद में , अभि०सा०-2, अभि०सा०-3 और अभि०सा०- 4 द्वारा 09.10.1999 की सुबह के समय देखने की बात बतलाई गयी थी , अभियोजन की कहानी को कमजोर करता है । अभि०सा०-4 और अभि०सा०-5 का आचरण, पिछली दुश्मनी या आरोपी की नाराजगी को जानने के बावजूद बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना अप्राकृतिक है । [पैरा 21-22][980-सी.; 987-सी.एफ.]

शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [1985]1 एस.सी.आर. 88- के आलोक में ।

6."आखिरी बार देखा गया " सिद्धांत का सीमित अनुप्रयोग है , जहां मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखे जाने के समय और हत्या के समय के बीच का

समय अंतराल, संकीर्ण है; इसके अलावा, अदालत को किसी आरोपी को केवल इसी आधार पर दोषी नहीं ठहराना चाहिए। वर्तमान मामले में, "आखिरी बार देखा गया" सिद्धांत को छोड़कर, कोई अन्य परिस्थिति या सबूत नहीं है। जब मृतक को अभियुक्तों के साथ 09-10-1999 को देखा गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, मृतक की संभावित मृत्यु के समय के बीच का अंतर कम नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए, और गवाहों के बयानों में गंभीर विसंगतियों, और इस तथ्य को देखते हुए कि घटना के लगभग 6 सप्ताह बाद प्र०सू०रि० दर्ज की गई थी, आरोपी-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए "अंतिम बार देखी गई" परिस्थिति पर एकमात्र निर्भरता उचित नहीं है। [पैरा 23,25][981-एच.; 982-ए.;984 -डी.ई.]

जसवंत गिर बनाम पंजाब राज्य (2005) 12 एस.सी.सी. 438;
रामब्रक्ष @ जालिम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2016] 2
 एस.सी.आर. 599; *निज़ाम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य*
 [2015] 10 एस.सी.आर. 786 - पर निर्भर।

हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1952] 1एस.सी.आर. 1091;
तन्वीबेन पंकजकुमार डिवेटिया बनाम राज्य गुजरात (1997) 7
 एस.सी.सी. 1 - संदर्भित।

संदर्भित वाद

[1952] 1 एस.सी.आर. 1091 पैरा 12, 21 को संदर्भित
 [1985] 1 एस.सी.आर. 88 पैरा 12, 21 पर निर्भर
 (2005) 12 एस.सी.सी. 438 पैरा 23 पर निर्भर
 [2016] 2 एस.सी.आर. 599 पैरा 24 पर निर्भर
 [2015] 10 एस.सी.आर. 786 पैरा 24 पर निर्भर

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आपराधिक अपील संख्या 358/2004 में दिये गए के दिनांक 05.10.2012 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जे.सी. गुप्ता, अधिवक्तागण विक्रान्त सिंह बैस, योगेश तिवारी।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्तागण नेगी, सुदर्शन सिंह रावत, सनी सचिन रावत।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस. रवीन्द्र भट्ट, जे.

1. अपीलकर्ताओं को दोषी करार करते हुए भा.द.वि. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, साथ-साथ भा.द.वि. की धारा 364 के तहत 7 साल और भा.द.वि. की धारा 201 के तहत 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। उनकी दोषसिद्धि और सजा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।¹

2. हसीन, उम्र करीब 7 साल बिसारत (अभि०सा०-1) निवासी ग्राम अकबरपुर का बेटा था। वह 08.10.1999 को लापता हो गया था। 10.10.1999 को लगभग 16:30 बजे हसीन के गांव अकबरपुर से दूर हसीन का शव गांव नारायणपुर से कुछ दूरी पर स्थित याकूब के गन्ने के खेत में मिला, इसकी सूचना पुलिस थाना मंगलौर को भेज दी गई। जांच कार्यवाही ए.एस.आई. डालचंद, अभि०सा०-6 द्वारा की गई। पोस्टमार्टम 11.10.1999 को डॉ. ए.के. जैन (अभि०सा०-9) द्वारा किया गया था। उनके बयान के मुताबिक, मौत पोस्टमार्टम से करीब दो दिन पहले हुई थी।

3. अभि०सा०-1, बिसारत ने 19.11.1999 को धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "द.प्र.स.") के तहत एक आवेदन दायर किया। संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.सू.रि.) 21.11.1999 को दर्ज की गई थी। प्र.सू.रि. में, सूचक ने आरोप लगाया कि उनका बेटा हसीन 08.10.1999 को दोपहर 3 बजे से लापता था और तलाश करने के बावजूद भी वह नहीं मिला। वह 10.10.1999 को जिस दिन हसीन का शव मिला था, उस दिन वह मंगलौर थाना गए थे। उन्होंने 11.10.1999 को हुए अन्त्य परीक्षण के बारे में भी बताया। अभि०सा०-1 ने कहा कि वह पूछताछ करने में व्यस्त था। उन्हें सईद अहमद (अभि०सा०-3) और मुराद अली (अभि०सा०-2) ने बताया था कि उन्होंने दिनांक 08.10.1999 को लगभग 3.30 बजे अपराह्न मृत बालक हसीन को ए-3 हुस्नजहां के साथ देखा था जिसे वह अपने घर ले गई। सुलेमान (अभि०सा०-4) ने उसे बताया कि 09.10.1999 को सुबह लगभग 6 बजे उसने हसीन को ए-1 जाबिर और ए-2 जाकिर के साथ याकूब के गन्ने के खेत के पास सड़क पर खड़ा देखा था। वह (अभि०सा०-1) तुरंत 12.10.1999 की सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मंगलौर थाना गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई। फिर वह उसी दिन पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार से मिला, लेकिन पुलिस ने न तो उससे या उसके गवाहों से पूछताछ की और न ही आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ

कोई कार्रवाई की। इन आरोपों के आधार पर , पुलिस ने घटना की जांच की , और उन कार्यवाही के दौरान, आरोपी-अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

4. जांच पूरी होने के बाद , पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अपीलकर्ता अपराधों के दोषी थे। कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किये गये। अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए 12 गवाहों की गवाही कराई। बचाव पक्ष ने किसी गवाह को पेश नहीं किया । अपने सामने रखी गई सामग्रियों के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया, जिन्होंने फिर उच्च न्यायालय में अपील की। आक्षेपित निर्णय द्वारा निचली अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि की गयी ।

अपीलकर्ताओं की दलीलें

5. अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में की गयी दोषसिद्धि और सजा पोषणीय नहीं है। यह तर्क दिया गया कि इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया था कि मृत लड़के के लापता होने के लगभग पांच सप्ताह बाद और 10.10.1999 को उसका शव मिलने के बाद प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि 12.10.1999 को, उसे गवाहों द्वारा बताया गया था कि 8.10.1999 को तीसरे अपीलकर्ता , ए-3 हुस्नजहां को बच्चे को अपने घर के अंदर ले जाते हुए देखा गया और 9.10.1999 को सुबह 6 बजे बच्चे को आरोपी जाबिर और जाकिर के साथ देखा गया । धारा 156(3) द.प्र. स. के आवेदन को 19.11.1999 को भेजा गया, यानि एक महीने से अधिक समय के बाद। इस बीच किसी अधिकारी को कोई आवेदन नहीं भेजा गया था । एक महीने से अधिक की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

6. यह तर्क दिया गया कि विभिन्न गवाहों की गवाही में विसंगति है , विशेष रूप से अभि०सा०-1 (मृतक के पिता) और अन्य, विशेष रूप से अभि०सा०-4 और अभि०सा०-5 की गवाही में, कि क्या आरोपी की संलिप्तता का संदेह है , जबकि हकीकत यह है कि बच्चे का शव मिलने के कुछ दिनों के बाद इसकी सूचना दी गई थी। अधिवक्ता ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि पुलिस गवाहों द्वारा अभि०सा०- 1 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया बल्कि उसने समसामयिक रूप से संदेह व्यक्त किया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि गवाहों की गवाही यह थी कि 10.10.1999 को अभि०सा०-1 और अन्य को अभियुक्त की भूमिका के बारे में जानकारी नहीं थी , लेकिन मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में यह प्रतिबिंबित नहीं हुआ।

7. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाह अविश्वसनीय हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बाद में विचार करके तथ्यों को जोड़ा है। मृतक के पिता के परिवार के साथ निरंतर दुश्मनी के कारण घटना के बहुत बाद उनका नाम लिया गया था। यह बताया गया कि पहले अन्वेषण अधिकारी , (अभिंसां-8) की गवाही में अभिंसां-2 ने ए-3 की भूमिका और भागीदारी के बारे में उल्लेख नहीं किया था और वह 8 अक्टूबर, 1999 को मृतक के साथ थी। इसके अलावा, उस गवाह (अभिंसां-8) ने यह भी गवाही दी कि ग्रामीणों को शुरू में सलीम और मंसूर पर संदेह था , न कि वर्तमान आरोपी पर।

8. विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पी- 4 और अभिंसां-5 पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह हैं। वास्तव में , अभिंसां-4 का पुलिस बयान दिसंबर , 1999 में घटना के काफी दिन बाद दर्ज किया गया था। यह गवाह , वास्तव में अभिंसां-5 की तरह, पहले दो अपीलकर्ताओं (ए- 1 और ए-2) को किसी तरह फंसाने के लिए पेश किया गया था क्योंकि वहाँ कोई अन्य गवाह नहीं थे जिसने इनकी कथित संलिप्तता या उपस्थिति के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया हो। उनकी पहचान कराने का उद्देश्य उन्हें मृतक से जोड़ना था। यह प्रस्तुत किया गया कि अभिंसां- 4 की गवाही अविश्वसनीय थी , क्योंकि उसकी स्वीकारोक्ति के अनुसार उसका बयान पुलिस ने दो महीने बाद दर्ज किया था, हालांकि उसने मृतक को पहले दो अपीलकर्ताओं के साथ देखा था और अभिंसां- 1 को इसके बारे में जल्द से जल्द 12.10.1999 को सूचित किया था। इसी तरह , अभिंसां-5 ने बयान दिया कि उसने लड़के को दो अपीलकर्ताओं के साथ (09.10.1999) देखने के बारे में अभिंसां- 1 को 12.10.1999 को सूचित किया था । अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उनसे इतनी देर से पूछताछ क्यों की गई। इसके अलावा , मृतक के पिता , अभिंसां-1 ने अपनी लिखित शिकायत में अभिंसां- 5 द्वारा पहले दो अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के बारे में बताए जाने का उल्लेख नहीं किया।

9. यह तर्क दिया गया कि "आखिरी बार देखा गया " सिद्धांत, प्रथम दृष्टया , बाद में सोचा गया है और मनगढ़ंत है , जैसा कि अभिंसां 7, मंसब ने अदालत के सामने कहा था कि अभिंसां 2, मुराद अली, अभिंसां 3 सईद अहमद, और अभिंसां 4 सुलेमान , जो सभी मृत बच्चे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे , 10.10.1999 को हुई मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही के समय उपस्थित थे , फिर भी वे किस कारणों से 2 दिनों तक चुप रहे स्वयं वही कह सकते हैं , और पहली बार अभिंसां-1 बिसारत को केवल

12.10.1999 को सूचित किया। फिर भी, गवाह अभि०सा०- 1 ने अपने लिखित परिवाद में इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया।

10. यह कहा गया कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह एक ही परिवार के थे, क्योंकि शिकायतकर्ता अभि०सा०- 1 बिसरत, अभि०सा०- 2 मुराद अली का भतीजा है; (अभि०सा०-3) सईद अहमद अभि०सा०- 1 के चचेरे भाई शरीफ का बेटा है, और अभि०सा०-4 सुलेमान के साथ-साथ अभि०सा०- 5 मुनफैद भी अभि०सा०- 1 के परिवार से ही है। यह तर्क दिया गया कि गवाहों के पास अपीलकर्ताओं के खिलाफ झूठी कहानी बनाने का कारण था क्योंकि वर्ष 1996 में, अपीलकर्ताओं के पिता मुनफैद ने धारा 307, 452, 504, 506 भा.द.वि. के तहत मुराद अली (अभि०सा०- 2), फुरकान और शमशाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और उन पर मुकदमा चलाया गया। इससे स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने का उनका मकसद स्थापित हो गया।

11. अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश देते हुये कहा कि मनसब (अभि०सा०- 7) के बयान के अनुसार (जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के समय का गवाह था) मुनफैद, सईद और मुराद अली भी पूछताछ के समय मौजूद थे। यह अकल्पनीय है कि यदि उन्होंने मृतक को आरोपी व्यक्तियों के साथ देखा होता, तो वे अपने रिश्तेदारों के शव को देखने के बाद भी इसका खुलासा नहीं करते। यह असंगति उनकी विश्वसनीयता की जड़ तक पहुंच गई, जिससे अभियोजन पक्ष का कथन गलत साबित हुआ।

12. विद्वान अधिवक्ता ने *हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य*² *शरद बिरधी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य*³ और *तन्वीबेन पंकजकुमार डिवेटिया बनाम गुजरात राज्य*⁴ के मामलों को संदर्भित करते हुये यह तर्क दिया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य-आधारित मामलों में, प्रत्येक आपत्तिजनक परिस्थिति को स्पष्ट रूप से विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और सिद्ध परिस्थितियों को घटनाओं की एक श्रृंखला बनानी चाहिए, जिससे अभियुक्त के अपराध का निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सके और सुरक्षित रूप से तय किया जा सके इसके आलवे कोई अन्य परिकल्पना संभव नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि इस अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर रहने के मामले में सावधान किया है, यह खतरनाक है कि अनुमान या संदेह कानूनी सबूत की जगह ले सकता है। न्यायालय को स्वयं से संतुष्ट होना चाहिए कि घटनाओं की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है, और घटनाओं की पूरी श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता की उचित संभावना को खारिज कर दे। यह भी इंगित किया गया है कि

जब महत्वपूर्ण कड़ी टूटती है , तो परिस्थितियों की श्रृंखला टूट जाती है , और अन्य परिस्थितियाँ, किसी भी तरह से , सभी उचित संदेहों से परे आरोपी के अपराध को स्थापित नहीं कर सकती हैं। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इस अदालत को सतर्क रहते हुये कुछ समय के लिए संदेह को कानूनी सबूत की जगह लेने की अनुमति देने के खतरे से बचना होगा, अनजाने में यह नैतिक निश्चितता और कानूनी सबूत के बीच एक छोटा कदम हो सकता है। इस अदालत द्वारा यह इंगित किया गया है कि "शायद सच है" और "सच होना चाहिए" के बीच एक दीर्घकालिक संबंध है और यही अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है। यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष हर परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करने में असमर्थ था , और निचली अदालतों ने संदेह को सबूत मानने में गलती की , जिसके कारण अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया।

राज्य/अभियोजन पक्ष की दलीलें

13. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस अदालत को विचारण और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले प्र.सू.रि. दर्ज करने में देरी के मुद्दे को निपटाया और विचारण न्यायालय के तर्क, साथ ही अभि०सा०-1 की गवाही पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि जब मृतक लापता हो गया , तो अभि०सा०-1, उसके पिता की ओर से अनुपस्थिति की तुरंत रिपोर्ट न करने और इसके बजाय उसकी तलाश करने में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं था। जब उन्हें बताया गया कि शव मिला है , तब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया ; पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि लड़के की मौत हिंसा और उसके शरीर पर लगी चोटों के कारण, सदमे के कारण हुई। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सभी प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने ए-1 से ए-3 को देखने की गवाही दी थी , उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने लड़के को उक्त अपीलकर्ताओं के साथ देखा था। इसलिए , अंतिम देखा गया सिद्धांत सही ढंग से लागू किया गया था। इसके अलावा , अभि०सा०-1 ने वास्तव में पुलिस से शिकायत करने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार, उसने द.प्र.स. की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दाखिल किया। जिसकी अनुमति दी गयी थी।

14. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभि०सा०-4 और अभि०सा०-5 के बयानों का संचयी प्रभाव यह था कि मृत लड़के को आखिरी बार , पहले दो आरोपियों के साथ, सुबह-सुबह उस स्थान के पास देखा गया था , जहां बाद में उसका शव मिला था। यह देखते हुए

कि इसकी रिपोर्ट शव की खोज के तुरंत बाद 10.10.1999 को की गई थी , त्वरित कार्रवाई न करने के लिए सूचक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगले दिन हुई मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही में मृतक के शरीर पर लगी चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई।

15. यह प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने ही सही अनुमान लगाया कि सूचक की शिकायत पर पुलिस ने विचार नहीं किया और वह उस निष्क्रियता का पीड़ित नहीं हो सकता है। 21.11.1999 के बाद हुई जांच में बेशक कुछ गवाहों के बयान हुए , लेकिन जांच संतोषजनक ढंग से नहीं हुई। इसलिए , इसे PW-12 द्वारा अपने पास लेने का निर्देश दिया गया , जिसके बाद इसे ठीक से संधारित किया गया और सभी अपीलकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया गया। राज्य के अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए अभि०सा० 2 और 3 की गवाही भरोसे लायक थी क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से इस बात की गवाही दी थी कि तीसरे अपीलकर्ता को आखिरी बार मृत लड़के का हाथ पकड़े हुए 8.10.1999 को देखा गया था। अभि०सा० 4 और 5 ने गवाही दी कि उन्होंने मृत लड़के को अगले दिन , सुबह-सुबह पहले दो अपीलकर्ताओं के साथ देखा था। इन तथ्यों ने निर्णायक रूप से अपीलकर्ताओं के अपराध को स्थापित किया था ।

विश्लेषण और निष्कर्ष

16. जैसा कि पिछली तर्क-वितर्क से पता चला है , कि अपीलकर्ताओं की संयुक्त सजाएँ पूरी तरह से "अंतिम बार देखे गए " सिद्धांत पर आधारित है , जिसे नीचे की अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है। मृतक- यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उसे 8 अक्टूबर , 1999 की दोपहर को अभि०सा०- 2 और अभि०सा०-3 ने तीसरे अपीलकर्ता हुस्नजहाँ के साथ देखा था ; वह उसका हाथ पकड़ रही थी। जब लड़का लापता हो गया तब उसके पिता, अभि०सा०-1 और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी तलाश की। उस समय कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और तलाश जारी रही। लड़के का शव 10 अक्टूबर को एक अन्य गांव (नारायणपुर) में एक खुले कृषि क्षेत्र में पाया गया , जिसका आंशिक हिस्सा दफन था । अगले दिन यानि 11 अक्टूबर 1999 को पोस्टमॉर्टम किया गया ; उसी दिन मृत्यु-समीक्षा/शव परीक्षा की कार्यवाही भी हुई। अभि०सा०-1 ने कहा कि उसने 12 अक्टूबर, 1999 को वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्र.सू.रि. दर्ज करने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। दिनांक 19.11.1999 को द.प्र.स. की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन पर एक आदेश के अनुसार अंततः प्र.सू.रि. दर्ज की गई ।

अन्वेषण अभि०सा०-8 द्वारा और बाद में 2.12.1999 से अभि०सा०-12 द्वारा की गई। अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन पर अपराध का आरोप लगाया गया , और बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया।

17. अभि०सा०-2 और अभि०सा०-3 की गवाही पर भरोसा यह साबित करने के लिए किया गया कि तीसरी अपीलकर्ता हुस्नजहां और पहले दो अपीलकर्ताओं की बहन को 8 अक्टूबर , 1999 के अपराहन 3:30 बजे मृतक के साथ देखा गया था। अभि०सा०-2 का दावा है कि उसने अभि०सा०-1 को 10-10-1999 को दोपहर 12:00 बजे, मृतक का शव मिलने से पहले (यानि , दोपहर 01:00 बजे) सूचित किया था। दूसरी ओर , अभि०सा०-3, जिसने हुस्नजहां को 8.10.1999 को मृतक का हाथ पकड़े हुये देखने का दावा किया था , अभि०सा०-1 को 12.10.1999 को यह देखने के बारे में सूचित किया था (चूंकि वह बीच की अवधि के दौरान अपने बेटे से मिलने बिजनौर गया था)। दूसरी परिस्थिति यह है कि लड़के को आखिरी बार , पहले दो अपीलकर्ताओं के साथ , अभि०सा०-4 और 5 द्वारा देखा गया था।

18. फिलहाल, यदि प्र.सू.रि. दर्ज करने में देरी (जो कि 42 दिन है) को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो मुख्य तथ्य जो सामने दिखता है वह यह है कि दोषसिद्धि पूरी तरह से गवाहों के इन दो सेटों की गवाही पर आधारित है। अभि०सा०- 4 सुलेमान ने 09.10.1999 की सुबह मृतक को उक्त अपीलकर्ताओं के साथ देखने की गवाही दी। उनका दावा है कि उन्होंने 12.10.1999 को शव की खोज के बाद लड़के के पिता , अभि०सा०-1 को इस तथ्य के बारे में सूचित किया था। अभि०सा०- 5 का बयान अभि०सा०-4 की गवाही की पुष्टि करता हुआ दिखलाई देता है। इस गवाह ने यह भी दावा किया कि उसने 09.10.1999 की सुबह लड़के को देखा था। हालांकि , दिलचस्प बात यह है कि, उसे दो आरोपियों के साथ देखने के बावजूद और लड़के की चीख सुनने के बावजूद , इस गवाह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके स्वीकृति के संदर्भ में , अभि०सा०-5, अभि०सा०-1 का चचेरा भाई है , इसलिए, सुबह-सुबह अपने घर से दूर , आरोपी के साथ लड़के को देखकर हस्तक्षेप न करने का उसका व्यवहार - यह देखते हुए कि लड़का केवल 7 वर्ष का था, अप्राकृतिक है। यह भी अस्वाभाविक है कि चूंकि अभियोजन पक्ष और अभि०सा०-1 का आरोप है कि आरोपी की उससे पहले से दुश्मनी थी, अभि०सा०-5, एक करीबी रिश्तेदार होते हुये भी जब उसने लड़के को पहले दो अपीलकर्ताओं के साथ देखा तो न तो आश्चर्यचकित हुआ और न ही उसने हस्तक्षेप करने के लिए कुछ किया। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभि०सा०- 5 का पुलिस बयान अनुसंधान शुरू होने के दो महीने से अधिक समय बाद दर्ज किया गया

था; यहां तक कि द.प्र.स. की धारा 156 (3) के तहत दाखिल आवेदन में भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि लड़के को आरोपी के साथ देखे जाने का वह साक्षी था, बावजूद इसके गवाह का कथन था कि उसने 9.10.1999 को जो देखा था उसके बारे में अभि०सा० -1 को 12.10.1999 को सूचित किया था ।

19. अभि०सा०-4 सुलेमान ने गवाही दी कि उसका घर बिसरत के घर से 8-10 कदम उत्तर में था , और वह 8 अक्टूबर, 1999 की पूरी रात अपने घर में था। उसने सुबह बाहर जाने की भी गवाही दी। 09-10-1999 को शौच के लिए जब वह गया तब सुबह लगभग 6 बजे उसने देखा कि मृतक पहले दो अपीलकर्ताओं जाकिर और जाबिर के साथ था। जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह 9 अक्टूबर, 1999 को अपने घर से बाहर नहीं गया था। उसने यह भी बताया कि जब लड़के का शव मिला तो वह गाँव में नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि अपनी जिरह में उसने कहा कि:

"मैंने अन्वेषण पदाधिकारी को वह स्थान नहीं दिखाया जहां पर आरोपी जाबिर और जाकिर हसीन के साथ खड़े थे , दूसरी तरफ मैंने अन्वेषण पदाधिकारी को बताया कि आरोपी हसीन के साथ याकूब के खेत में खड़े थे । आरोपी जाबिर और जाकिर याकूब के खेत के उत्तर दिशा में खड़े थे ."

यह कथन अभि०सा०-4 की गवाही को अविश्वसनीय बनाता है , क्योंकि याकूब का खेत नारायणपुर में स्थित था । अभि०सा०- 4 अकबरपुर का निवासी था ; यदि वह सुबह 6 बजे या उसके आसपास शौच करने के लिए बाहर गया और तुरंत घर लौट आया , तो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उसे कैसे पता चला कि आरोपी दूसरे गांव , नारायणपुर में एक विशिष्ट स्थान पर मृतक के साथ खड़े थे । इस स्पष्ट विसंगति के अलावा, यह अस्वाभाविक और असंभव है , कि 8-10 कदम दूर रहने वाले अभि०सा०- 1 के करीबी पड़ोसी को भी पता नहीं होगा कि लड़का 8 अक्टूबर, 1999 को लापता हो गया था। वास्तव में , गवाह की असंभवता, इस तथ्य की अनभिज्ञता के साथ (कि हसीन गायब थी) स्पष्ट है , अगर कोई अभि०सा०- 1 की गवाही को विचार विचार में लाये, जिसने गवाही दी थी:

"सबसे पहले हमने उसे गांव में खोजा , उसी दिन शाम को मुनादी (उद्घोषणा) भी कराई।"

20. अभि०सा०-2 मुराद अली के पिता अभि०सा०- 1 बिसरत के भाई थे । इसी तरह , अभि०सा०-3 सईद रिश्तेदार है , वह अभि०सा०- 1 का दूसरा चचेरा भाई है और उसी

तरह, अभि०सा०-2 से भी संबंधित है। अपनी गवाही में, अभि०सा०-2 ने कहा कि उसने लड़के को तीसरे आरोपी हुस्न जहां के साथ देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि शव दोपहर करीब एक बजे मिला था

हसीन की लाश मिली, उसी दिन मैंने बिसरत को बता दिया था कि शायद हुस्न जहान ने बच्चे का अपहरण कर लिया है।”

उसने आगे कहा कि, बिसरत को उसने बताया कि "दोपहर के करीब 12 बजे" उसने हुस्न जहान को हसीन का हाथ पकड़कर अपने घर में ले जाता देखा है। उन्होंने फिर से यह कहा:

यह बात मैंने बिसरत को वहीं बताई जहां लाश मिली थी। पुलिस के आने से 2-4 मिनट पहले मैंने यह बात बिसरत को बता दी थी। जब पुलिस हसीन के शव के पास पहुंची तो मैंने पुलिस को हुस्नजहान द्वारा हसीन का हाथ पकड़कर ले जाने की बात नहीं बताई। मैंने पुलिस को बताया कि "मुझे शक था कि शायद बच्ची हसीन को गायब कर दिया गया है। यदि यह तथ्य मेरे कथन में नहीं लिखा है तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता।

यदि ये तथ्य सत्य हैं, तो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अभि०सा०- 1 (साथ ही अन्य गवाहों, जैसे अभि०सा०- 2, और अभि०सा०- 3) ने हुस्नजहां की संलिप्तता का उल्लेख कम से कम मृत्यु समीक्षा कार्यवाही के समय क्यों नहीं किया। अभि०सा०-7 मनसब ने बताया कि मृत्यु समीक्षा कार्यवाही के दौरान अभि०सा०- 1 के परिवार के कई सदस्य और वह स्वयं मौजूद था।

“जिस समय शव परीक्षा की तैयारी की जा रही थी, उस समय गांव के कई लोग वहां एकत्र थे। उस समय मामले के शिकायतकर्ता बिसरत, सुलेमान पुत्र बशीर झोजा, मुनफैत पुत्र मो. अली, सईद पुत्र शरीफ और मुराद अली पुत्र अली हसन भी मौजूद थे।

अभि०सा०-7 की गवाही, (शव-परीक्षा के दौरान अभि०सा०- 1 से अभि०सा०- 5 की उपस्थिति के बारे में) न केवल अभि०सा०- 2 के बयान को संदिग्ध बनाती है, बल्कि अभि०सा०-5 की गवाही को भी कमजोर करती है जो 09-10-1999 को गांव छोड़ने का और 12-10-1999 को वापस आने का दावा करता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अभि०सा०-7 को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया था, और वह मृत्यु समीक्षा कार्यवाही का गवाह था।

21. आपराधिक विधिशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह प्रत्येक परिस्थिति को उचित संदेह से परे, साथ ही सभी परिस्थितिजन्य तथ्यों के बीच के संबंधों को साबित करे। ऐसी परिस्थितियों को, संचयी रूप से लेते हुए, इतनी पूर्ण शृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और अन्य किसी के द्वारा नहीं; इसके अलावा, इस प्रकार साबित किए गए तथ्य निश्चित रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा करने चाहिए। दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए, और ऐसे साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए बल्कि उसके निर्दोषता के साथ असंगत भी होने चाहिए।⁵ ये *सारद बिरदीचंद शारदा* (पूर्वोक्त नोट) में इस प्रकार कहे गए थे जहां अदालत ने *हनुमंत के उद्धरण के बाद* अभिनर्धारित किया था कि:

“153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामला पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलना चाहिए, उसे पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने इंगित किया है कि संबंधित परिस्थितियों को 'अवश्य होना या होना चाहिए' और नहीं 'हो सकता है', के रूप में स्थापित होना चाहिए। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित होना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एस.सी.सी. 793 मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनर्धारित किया गया था और जहां निम्नलिखित प्रेक्षण किया गया था : [एस.सी.सी. पैरा 19, पृ. 807 :एस.सी.सी. (क्रि.) पेज 1047]

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के लिए दोषी होना ही चाहिए न कि केवल दोषी हो सकता है और 'होना चाहिए' तथा 'हो सकता है' के बीच मानसिक रूप से दीर्घकालिक अंतर होना चाहिये और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करने वाली होनी चाहिए।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध/साबित करने के सिवाय हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए

(5) सबूतों की एक श्रृंखला इतनी संपूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दिखाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. ये पांच स्वर्ण सिद्धांत, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले को साबित करने के लिए पंचशील का गठन करते हैं।

ऐसा कहने के लिए ये पंचशील उपदेश, अब मौलिक नियम हैं, जिन्हें बार-बार दोहराया जाता है, और न केवल उनके पूर्ववर्ती महत्ता के लिए पालन की आवश्यकता होती है, बल्कि एकमात्र सुरक्षित आधार के रूप में जिस पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में दोषसिद्धि आराम से निर्भर रह सकती है।

22. इस अदालत की राय है कि गवाहों के दो सेटों (अभि०सा०- 2, अभि०सा०-3 और अभि०सा०-4, अभि०सा०-5) की गवाही में गंभीर खामियां हैं, जिन्होंने मृतक को हुस्नजहां और पहले दो आरोपियों के साथ क्रमशः 08 अक्टूबर 1999 और 09 अक्टूबर 1999 को देखने की बात कही थी, अभि०सा०-1 कि जानकारी को देखते हुए, उनकी गवाही में स्थान और समय पर उनकी उपस्थिति के संबंध में विसंगतियाँ हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित कर दिया है। यदि अभि०सा०-1 के बयान को लाभ/हित दिया जाय, और उस पर विश्वास किया जाय कि पुलिस ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जब तक कि उसने धारा 156 (3) के तहत आवेदन नहीं किया, 08.10.1999 को और बाद में, 09.10.1999 की सुबह, अभि०सा०-2, अभि०सा०-3 और अभि०सा०-4 द्वारा लड़के को ए- 3 हुस्नजहां के साथ देखने के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद अभि०सा०- 1 का आचरण, जिसने मृत्यु समीक्षा की कार्यवाही के दौरान कुछ भी नहीं कहा था अभियोजन की कहानी को कमजोर करता है। इसी तरह, यदि अभियोजन पक्ष का कथन कि अभियुक्त की पिछली दुश्मनी या द्वेष था, जो बच्चे को मारने का मकसद था, सही है, तो अभि०सा०-4 और

अभि०सा०-5 का आचरण कि जब उन्होंने उसे आरोपी के साथ देखा तो बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, अप्राकृतिक है। इससे ज्यादा यह भी, क्योंकि PW-5 निश्चित रूप से PW-1 का संबंधी है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, जिन परिस्थितियों में उसने मृतक को 09-10-1999 की सुबह देखा था, उस संबंध में अभि०सा०-5 की गवाही इसे अविश्वसनीय और विस्मयकारी बनाती है।

23. इस अदालत की यह भी राय है कि उपरोक्त गंभीर खामियों के अलावा, कोई सबूत, मौखिक या भौतिक रूप में नहीं है, जो अपीलकर्ता-अभियुक्त को अपराध से जोड़ती हो। इस अदालत द्वारा बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि "आखिरी बार देखा गया" सिद्धांत का सीमित अनुप्रयोग है, जहां मृतक के आखिरी बार आरोपी के साथ होने और हत्या के समय के बीच समय अंतराल संकीर्ण है; इसके अलावा, अदालत को किसी आरोपी को केवल "अंतिम बार देखे गए" परिस्थिति के आधार पर दोषी नहीं ठहराना चाहिए। *जसवन्त गिर बनाम पंजाब राज्य*⁶ में इस न्यायालय ने ऐसे नियम की सुदृढ़ता से व्याख्या की थी :

"अभि०सा० 14 के साक्ष्य से निकले "अंतिम बार देखे गए" कथन की सत्यता की जांच किए बिना, यहां तक कि यह भी मान लिया जाए कि मृतक आरोपियों के साथ उनके वाहन में गया था, यह परिस्थिति अपने आप में उनके प्रतिरोधी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाती है कि अपीलकर्ता और उसका साथी उसकी हत्या कर शव पुलिया में फेंक दिया था। यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्ता और उसके साथी हत्या के लिए जिम्मेदार थे, हालांकि आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है। मृतक के अपीलकर्ता के वाहन में चढ़ने और अभि०सा० 11 को शव मिलने के समय के बीच काफी समय का अंतर है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में किसी भी अन्य कड़ी के अभाव में केवल "अंतिम बार देखे गए" साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराना संभव नहीं है, भले ही इस संबंध में अभि०सा० 14 के कथन पर विश्वास किया जाए। इसे देखते हुए, अपीलकर्ता द्वारा उसके सामने की गई कथित स्वीकारोक्ति के संबंध में अभि०सा० 9 का साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

24. हाल ही में, *रामवृक्ष बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*⁷ में इस न्यायालय ने पिछले निर्णयों की समीक्षा के बाद कहा था कि:

"10. यह घिसा-पिटा कानून है कि आरोपी के खिलाफ केवल इस आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती कि आरोपी को आखिरी बार मृतक के साथ देखा

गया था। दूसरे शब्दों में, अंतिम बार एक साथ देखे जाने की एकमात्र परिस्थिति के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। आम तौर पर, आखिरी बार देखे जाने का सिद्धांत तब चलन में आता है, जहां समय का अंतर, उस समय के बीच जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया जाता है, इतना कम होता है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना असंभव होती है। अपराध को अंजाम देना असंभव हो जाता है। किसी को दोषसिद्धि करने के लिए, अंतिम बार एक साथ देखा जाना ही पर्याप्त नहीं होगा और अभियोजन पक्ष को आरोपी के अपराध को सामने लाने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करना होगा।

11. कृष्णनव बनाम तमिल राज्य (2014) 12 एस.सी.सी. 279, के मामले में इसी तरह की परिस्थितियों में इस प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया ।

21. दोषसिद्धि केवल मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति पर आधारित नहीं हो सकती। अर्जुन मैरिक बनाम बिहार राज्य (1994) (पूर्वोक्त नोट) (2) एस.सी.सी. 372)

“31. इस प्रकार यह साक्ष्य कि अपीलकर्ता 19-7-1985 की शाम को सीताराम के पास गया था और मृतक सीताराम के घर पर रात में रुका था, बहुत कमजोर और अनिर्णायक है। यहां तक कि अगर यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि वे वहां थे तो यह सबसे अच्छा सबूत होगा कि अपीलकर्ताओं को मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। लेकिन यह स्थापित कानून है कि अंतिम बार देखे जाने की एकमात्र परिस्थिति इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करेगी कि यह केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप है और इसलिए, केवल उस आधार पर कोई दोषसिद्धि स्थापित नहीं की जा सकती है।।”

बोधराज बनाम राज्य (2002) 8 एस.सी.सी. 45) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

“31. अंतिम बार देखे जाने का सिद्धान्त उस समय चलन में आता है जहां समय का अंतराल उस समय के बीच जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया गया था तो इतना कम होता है कि

आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना नहीं होती है और अपराध असंभव हो जाता है।"

ऐसे मामलों में अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचना खतरनाक होगा जहां कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अन्य सकारात्मक सबूत नहीं है कि आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था।

23. प्र.सू.रि. दर्ज करने में छह दिन की अस्पष्ट देरी हुई है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार मृतक मणिकंदन को आखिरी बार 4-4-2004 को पंगुनी के दौरान वडक्कुमेलुर गांव में मरियम्मन मंदिर के उत्थिरम महोत्सव में देखा गया था। । मृतक का शव सात दिनों से अधिक समय के बाद अग्निशमन सेवा कर्मियों द्वारा बोरवेल से निकाला गया था। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सकारात्मक सामग्री नहीं है कि मृतक को आखिरी बार आरोपियों के साथ देखा गया था और सात दिनों की अंतराल अवधि में मृतक के संपर्क में कोई नहीं था ।

24. जसवंत गिर बनाम पंजाब राज्य (2005) 12 एस.सी.सी. 438) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में किसी अन्य कड़ी की अनुपस्थिति में, अपीलकर्ता को केवल "अंतिम बार एक साथ देखे जाने" के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है , भले ही कथन में इस संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाह पर विश्वास किया गया है।"

पुनः , निज़ाम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य ⁸में इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

"नीचे की अदालतों ने अपीलकर्ताओं को अभि०सा० 1 और 2 के साक्ष्य पर इस आधार पर दोषी ठहराया कि मृतक को आखिरी बार 23.01.2001 को अपीलकर्ताओं के साथ जीवित देखा गया था। निस्संदेह , "अंतिम बार देखा गया सिद्धांत" परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो कुछ निश्चितता के साथ आरोपी के अपराध की ओर इशारा करेगा। "आखिरी बार देखा गया सिद्धांत" अदालतों को सबूत का भार आरोपी पर स्थानांतरित करने और आरोपी को मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य करता है। इस न्यायालय द्वारा यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दोषसिद्धि को केवल "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" पर आधारित करना विवेकपूर्ण नहीं है। "अंतिम बार

देखा गया सिद्धांत" अभियोजन पक्ष के मामले को संपूर्णता में ध्यान में रखते हुए और अंतिम बार देखे जाने के बिंदु से पहले और बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए।

25. वर्तमान मामले में , "आखिरी बार देखा गया " सिद्धांत को छोड़कर , कोई अन्य परिस्थिति या साक्ष्य नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मृतक को अभियुक्तों के साथ 09-10-1999 को देखा गया था और मृतक की संभावित मृत्यु के समय , जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित था और दो दिन के बाद किया गया था , यद्यपि कि मृत्यु का समय के संदर्भ में अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट में में कुछ नहीं कहा गया था बल्कि इसे दो दिन पूर्व होना बताया गया था , के बीच का अंतर कम नहीं है । इस तथ्य को देखते हुये और गवाहों के बयानों में गंभीर विसंगतियों के साथ-साथ घटना के लगभग 6 सप्ताह बाद प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी , एकमात्र निर्भरता "आखिरी बार देखी गई " परिस्थिति पर थी (भले ही इसे साबित मान लिया जाए) अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

26. उपरोक्त कारणों से , अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। आक्षेपित निर्णय को यहाँ अपास्त किया जाता है ; जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो , अपीलकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाता है । अपील स्वीकृत की गयी, लेकिन लागत पर आदेश के बिना।

अंकित ज्ञान

अपील स्वीकार की गई ।

(सहायककर्त्ता : वेद सिंह, एल.सी.आर.ए.)

कुशेश्वर सिंक्

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारीजामताड़ा ,